तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/26	पत्रावली पेश। वास्ते बहस 18/3/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
18/3/26	वास्ते बहस 7/4/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
7/4/26	वास्ते बहस 17/4/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
17/4/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक [illegible] स्थगित रखा / P.O. रे मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21/4/26 को पेश हो।	
21/4/26	पत्रावली पेश हुई / अधिवक्तागण ... न्यायिक [illegible] स्थगित रखा / P.O. रे मीटिंग / बाहर / अवकाश में। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 8/5/26 को पेश हो।	
8/5/26	पत्रा० पेश। वकील पक्षकार उप०। बहस सुनी गयी वास्ते आदेश 13/5/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
13/5/26.	पत्रा. पेश। वादी द्वारा धारा 88, 188, 183 RT Act के तहत उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	दावा पेश किया गया है। तनकी वार निर्णय निम्न प्रकार से है –	

तनकी 1 – वादी का कथन है कि विक्रय पत्र दिनांक 01.08.2011 धोखाधड़ी व undue influence में कराया गया व without consideration है। विक्रय पत्र ~~को~~ undue influence या consent / consideration related issues संबंधित सिविल न्यायालय द्वारा प्रमाणित होते है। यह issue civil nature के है अतः राजस्व न्यायालय इस पर decide नहीं कर सकता।

तनकी 2 – चूंकि वादी धारा 188 के तहत आसामी नहीं घोषित हुए है अतः स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादी - 1 के विरुद्ध इनको नहीं दी सकती।

तनकी 3 – वादी उक्त आराजी का खातेदार घोषित नहीं है, अतः इन्हें इस आराजी से संबंधित हक प्राप्त नहीं है।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी

...ीख ...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तनकी 4 - विक्रय पत्र में consideration से संबंधित issue राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। तनकी 5 - मात्र दावा दूसरे court में चल रहा है इससे दावा खारिज योग्य नहीं बन जाता। तनकी 6 - विक्रय पत्र 2011 किया गया था। यह न्यायालय विक्रय पत्र (registered sale deed) की legal validity को decide नहीं कर सकता परन्तु वादी को घोषणात्मक वाद पेश करने की कोई समय सीमा नहीं है। इस वाद में एक अहम issue आवंटित भूमि में coparcenary right का है। वादी का claim है कि उक्त ज़मीन प्रभुलाल को आवंटित हुई थी। चूंकि वादीगण संयुक्त परिवार में रहते हैं तो प्रभुलाल की पत्नि व पुत्र-पुत्रीयों का इसमें हिस्सा निहित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	आराजी ancestral property नहीं है। coparcenary right ancestral property में निहित होते हैं। परन्तु यहां राज्य सरकार द्वारा प्रभुलाल को ज़मीन आवंटित की गई थी जिसमें By birth coparcenary rights निहित नहीं होते।
	अत: वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं है, अत: निरस्त किया जाता है।
	यह निर्णय आज दिनांक 13/5/24 को सुनाया गया।
	पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल द.फ्तर हो।
	Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
रामगंजमण्डी जिला ...	